Mod/Fm

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

कमांक : राम/प–2/1/5/रातस/2022–23/ 10170 दिनांक : 21/07/22

सयुंक्त शासन सचिव
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय :– भू–प्रबंध निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी वर्ष 2022–23 हेतु अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता के कम में।
प्रसंग :– आपका पत्र कमांक प.2(37) राज–1/2018 पार्ट दिनांक 27.6.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में अनुभव में छूट का प्रस्ताव कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 06.10.2017 में विहित 06 बिन्दूओं की सूचना के सम्बंध में बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1– नियमानुसार नायब तहसीलदार पद की नियमित डीपीसी वर्ष 2022–23 के आयोजन से पूर्व ही शिथिलन के प्रस्ताव भिजवाये जा रहे है।

2– नायब तहसीलदार का पद फील्ड का महत्वपूर्ण पद है राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजनाओं के कियान्वयन में नायब तहसीलदार की सहभागिता आवश्यक होने एवं तहसील/उप–तहसील में कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने से कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्यनज़र फिल्ड के महत्वपूर्ण कार्यो हेतु ही प्रस्ताव भिजवाये गये है।

3– जहां काडर में 20 (विशेष परिस्थितियों के गुणावगुण के आधार पर) से कम पद हों उन्हें विचारार्थ नहीं लिया जावें के सम्बंध में निवेदन है कि भू–प्रबंध निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद हेतु 32 पद आरक्षित है।

4– जिन प्रकरणों में शिथिलन के कारण पारस्परिक वरिष्ठता में परिवर्तन होना संभावित है एवं लिटिगेशन की स्थिति बन रही है, उक्त प्रकरणों को सामान्यतः विचारार्थ नहीं लिया जावे के सम्बंध में निवेदन है कि तहसीलदार सेवा सवंर्ग की तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। तहसीलदारों /नायब तहसीलदारों की वरिष्ठता सूची के सम्बंध में कोई विवाद नहीं है।

5– अनुभव में छूट देने से निम्न पद पर स्वीकृत पदों के 45 प्रतिशत से कम कार्मिक कार्यरत रहने की स्थिति के सम्बंध में निवेदन है कि राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक पं. 2(124)राज–1/2015 दिनांक 09.12.2019 एवं राजस्थान राजस्व (भू–अभिलेख, भू–प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू कर दिया गया है इन नियमों में भू–प्रबन्ध विभाग के निरीक्षक पद को डाईंग कैडर (dying cadre) घोषित कर दिया गया है तथा भू–मापक (अमीन) के पद को भी डाईंग कैडर (dying cadre) घोषित कर दिया गया है अर्थात भू–मापक (अमीन) के पद पर अब कोई भर्ती नहीं होगी। भू–प्रबन्ध विभाग में वर्तमान में निरीक्षक के रिक्त पदों में से उतने ही पद रखे जांए जो वर्तमान में कार्यरत भू–मापक (अमीन) की पदोन्नति के लिए आवश्यक/पर्याप्त हो, इसलिए निम्न पद (निरीक्षक) के पद पर रिक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

6– लोकहित में उन्हीं प्रकरणों में विचार किया जाएगा जहां पर पदोन्नति अधिकारी की पदीय स्थिति के आधार पर फिल्ड में कार्य संपादित हो रहे है, के सम्बंध में निवेदन है कि नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन की ईकाई है। जिसमें सर्वप्रथम भूमि से सम्बंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण तहसील/उप–तहसील स्तर से किया जाता है। साथ ही कानून व्यवस्था एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के कियान्वयन में भी सहभागिता रहती है।

उक्त कम में भू–प्रबंध निरीक्षक से नायब तहसीलदार की वर्ष 2022–23 की डीपीसी के आयोजन के सम्बंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 6.10.2017 के अनुसार पात्र कार्मिकों को अनुभव में 02 वर्ष तक की शिथिलता प्रदान करने के कम में निर्धारित प्रपत्र में सूचना निम्नानुसार प्रेषित है :–

क. स.	पदनाम	कार्य की प्रकृति	काडर में कुल स्वीकृत पद	दिनांक 1.4.22 को उपलब्ध स्पष्ट रिक्त पद	वर्ष 2022–23 में अनुभव के बिना पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	नियमानुसार एक तिहाई अवधि की छूट (एक वर्ष) के आधार पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	मु सचिव महो.की समिति द्वारा अधिकतम 02 वर्ष की छूट दिये जाने पर पदोन्नत होने वाले कार्मिकों की संख्या	निम्न पद जिससे पदोन्नति होनी है कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या	
								स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नायब तहसीलदार	फिल्ड कार्य	32	32	0	01	27	178	131

अतः भू–प्रबंध निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की वर्ष 2022–23 की डीपीसी के सम्बंध में वांछित 02 वर्ष के अनुभव की शिथिलता कार्मिक विभाग से प्राप्त कर भिजवावे ताकि भू–प्रबंध निरीक्षक से नायब तहसीलदार की डीपीसी सम्बंधी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

21/113
21/7/22

(महावीर प्रसाद)
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर